दिनांक 26.1.2009 को आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में मिलेनियम क्लब, वृन्दावन में एस0एफ0एस0 भवनों के आवंटियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 26.1.2009 को मिलेनियम क्लब, वृन्दावन में प्रातः 11:00 बजे आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एस0एफ0एस0 के आवंटियों की समस्याओं को सुनने के लिये तथा उनसे फीडबैक प्राप्त करने के लिये एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें मुख्य अभियन्ता, संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उप आवास आयुक्त (प्रशा0) आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।

1. श्री संजीव कुमार चौहान, डी–11ए/60 योजना संख्या–3 के आवंटी ने बताया कि उनके पोर्च के ऊपर स्लैब नहीं है, उसको बनवाया जाये। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि स्लैब लेवल पर पोर्च मान्य नहीं है। श्री संजीव कुमार चौहान ने बनने वाले भवनों की गुणवत्ता के संबंध में यह अनुरोध किया कि भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जानी आवश्यक है। इस संबंध में आवास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि भवनों में लगने वाली समस्त विशिष्टियों को मुख्य अभियन्ता बनाकर कम्प्यूटर सेल को उपलब्ध करा दें जिससे यह विशिष्टियां परिषद की बेबसाइट पर लोड की जा सकें। विशिष्टियां इस प्रकार हों कि भवनों में किस–किस ब्रांड की स्टील, सीमेन्ट तथा अन्य सामाग्री उनमें हों। इस संबंध में आवास आयुक्त द्वारा आवंटियों को यह भी सुझाव दिये गये कि आवंटियों में से 5–8 व्यक्ति अपना एक फोरम बना लें तथा अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध करा दें, जिससे प्रत्येक माह उनके साथ एक बैठक करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके तथा समुचित फीडबैक प्राप्त किया जा सके। आवास आयुक्त(म0) द्वारा मुख्य अभियन्ता को यह भी निर्देश दिये गये कि विशिष्टियां भी प्रदर्शित करकार आवंटियों को उपलब्ध करा दी जाये।

2. श्री चौहान द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया कि मार्च तक यदि मकान पर कब्जा नहीं मिलता तो क्या अंतिम किश्त के लिये ब्याज में छूट दी जायेगी। इस संबंध में इस पर उन्हें नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करके अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

3. श्री चौहान द्वारा यह भी बिन्दु उठाया गया कि पोर्च बड़ा होना चाहिये तथा डायमण्ड श्रेणी में पार्किंग की जगह होनी चाहिये। इस संबंध में एक अन्य आवंटी ने यह बिन्दु उठाया कि फर्श में विट्रीफाइड टाइल्स लगाये जाने का प्राविधान है, जिनकी आयु कम होती है, इसलिये उसके स्थान पर संगमरमर की फर्श लगायी जाये। कई आवंटियों ने इस पर आपत्ति उठायी कि विट्रीफाइड टाइल्स या संगमरमर की फर्श विकल्प प्राप्त करके ही लगायी जाये, क्योंकि अधिकांश लोग टाइल्स ही पसंद करते हैं। इस संबंध में आवास आयुक्त (म0) ने मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि इस संबंध में विकल्प प्राप्त करके कार्यवाही की जाये।

4. सुश्री रम्भा सिंह, 11बी/209 के आवंटी द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक द्वारा दिये जाने वाली अंतिम किश्त भवन के कम्प्लीशन के बाद ही मिलती है। समय से भवन न बनने पर किस्त न दे पाने के कारण ब्याज देना पड़ेगा। इस विलम्ब के लिये जो ब्याज पड़ेगा इस पर विचार किया जाये। इस संबंध में आवास आयुक्त(म0) द्वारा मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि वित्त नियंत्रक से इस पर चर्चा करके आवंटियों के लिये समुचित व्यवस्था की जाये।

5. श्री शरद जोशी, 11ए/58 के आवंटी द्वारा अवगत कराया गया कि मकान के ऊपर हाईटेंशन लाइन जा रही है तथा इन भवनों में भूतल के ऊपर एक मंजिल बनाने का प्राविधान है जबकि हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान नहीं बनाये जा सकते। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि इस प्रकरण को देख कर श्री जोशी को अवगत करा दिया जायेगा।

6. 66/19 के आवंटी ने अपनी समस्या रखी कि उनके भवन में अभी तक दीवार ही नहीं बन पाई है तो 31 मार्च 2009 तक कैसे कार्य पूरा हो पायेगा तथा क्वालिटी का जिम्मेदारी आवास विभाग की है न कि आवंटियों की । इस संबंध में आवास आयुक्त ने अवगत कराया कि गुणवत्ता का दायित्व आवास एवं विकास परिषद का है । आवंटियों की फीडबैक फोरम के माध्यम से संतुष्टि हेतु यह व्यवस्था की जा रही है तथा आवास विकास परिषद इसके लिये कटिबद्ध है।

7. 8सी/86 के आवंटी ने बताया कि उनके भवन का डिजाइन परिवर्तित हो गया है। किचेन तथा बेडरूम का दरवाजा एक ही है तथा मुख्य दरवाजे की चौखट टेढ़ी है। इस संबंध में आवास आयुक्त (म0) द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये।

8. 8बी/55 के आवंटी ने बताया कि दो पानी की टंकी न लगा कर एक ही पानी की टंकी लगायी जाये इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि समुचित निर्णय लेने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

9. सुश्री रश्मि सिन्हा, 11बी/217 ने इस पर विचार व्यक्त किये कि रोड, लाइट, पार्क आदि के विकास के लिये टाइम फ्रेम बनाकर बेबसाइट पर डाल दिया जाये जिससे आवंटियों को बसने के लिये सुविधा हो सके।

10. 6सी/97 के आवंटी के द्वारा दरवाजे की शिकायत की गयी।इस पर अधिशासी अभियन्ता श्री यू0सी0सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि दरवाजे एण्टी टरमाइट ट्रीटमेंट वाले, जिसकी 05 साल की गारण्टी है, को लगाया जा रहा है। क्वालिटी में किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिये आंवटियों को संबंधित कम्पनी का टेलीफोन नम्बर उपलब्ध करा दिया जायेगा जिससे वह संबंधित व्यक्ति से सम्पक कर सकेगें।

11. कुछ आवंटियों द्वारा अवगत कराया गया कि नहर के किनारे कुछ मकान प्लिंथ रोड से नीचे लग रहें है। इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता श्री बाजपेयी द्वारा अवगत कराया गया कि प्लिंथ ऊपर है तथा मिट्टी भरायी करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

12. कुछ आवंटियों द्वारा अवगत कराया गया कि लॉबी में जाते हुये बेडरूम की प्राइवेसी समाप्त हो जाती है जो वास्तु दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है तथा किचेन में दोनो तरफ रैक लगाये जा रहें हैं। इस संबंध में आवास आयुक्त(म0) द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को देख लें तथा समुचित कार्यवाही करें।

13. कुछ आवंटियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि मौके पर 12 मीटर रोड बतायी गयी है जब कि 06 मीटर रोड मौजूद है। इसी प्रकार सेक्टर–8सी के आवंटी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर 16 मीटर रोड बतायी गयी जबकि वहां 9 मीटर रोड मौजूद है। इस संबंध में संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य क्षेत्र में इसका आकलन कर आख्या प्रस्तुत करें।

14. कुछ आवंटियों द्वारा अवगत कराया गया कि मकानों पर नम्बर नहीं पड़े हैं जिससे आवंटी को अपना मकान ढूढ़ने में समस्या होती हैं। इस संबंध में आवास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया किया कि सभी मकानों पर अस्थायी नम्बर डाल दिये जायें।

आवास आयुक्त(म0) द्वारा सभी आवंटियों को सम्बोधित करते हुये अवगत कराया गया कि आवास विकास परिषद भवनों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। आवंटियों की सहायता तथा संतुष्टि के लिये समय–समय पर फीडबैक प्राप्त करने के लिये आवंटियों के साथ बैठक की जायेगी। भवनों के निर्माण में लगे समस्त अधिशासी अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के नाम तथा उनके टेलीफोन नम्बर बेवसाइट पर डाल दिये जायेगें। प्रत्येक अवर अभियन्ता के साइट आफिस में एक पंजिका उपलब्ध हो, जिसमें अवर अभियन्ता की उपस्थिति/अनुपस्थिति दोनों में आवंटी अपनी आपत्ति/सुझाव दर्ज करा सके जिससे आवंटियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

इस संबंध में आवास आयुक्त के निर्देशानुसार उपस्थित आवंटियों की सहमति के आधार पर निम्न सदस्यों की कमेटी गठित की गयी है, जिनके साथ आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह एक बैठक की जायेगी तथा उनका फीडबैक प्राप्त किया जायेगा।

क्र0सं0	सेक्टर	आवंटी का नाम	मकान नं0	मोबाइल नम्बर
1	5	श्री ओम प्रकाश सिंह	5सी/9	9415368516
		श्री एफ0 अहमद	5डी/135	9454321434
2	6	श्री राजीव कुमार सिंघल	6सी/97	9839841410
		श्री अरविन्द कुमार तिवारी	6सी/65	9319049120
		श्री संजय कुमार रस्तोगी	6सी/166	9451954273
3	8	श्री दिवाकर द्विवेदी	8सी/332	9452967226
		श्री अर्पण खरे	8बी/55	9236057691
		श्री नीरज कुमार सचान	8सी/85	9415465254
4	11	श्री लक्ष्मीकान्त भारती	11ए/211	9411870480
		श्री आशीष कुमार सिंह	11ए/183	9984483322
		श्री अमिताभ कुमार	11ए/173	9454590444
		श्री जयपाल सिंह राठौर	11ए/60	9415356804
		श्री संजीव श्रीवास्तव	11बी/190	9450970313
5	16	श्री आर0के0 गुप्ता	16बी/228	9335671711

(रूद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
104,महात्मा गॉधी मार्ग,लखनऊ।

पृ0सं0 639/ST/AHC/ दिनांक 06-2-09

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, लखनऊ।
3. उप आवास आयुक्त, प्रशासन/लखनऊ जोन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त/वृन्दावन वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
6. आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/अपर आवास आयुक्त के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ।

अपर आवास आयुक्त